बिहार सरकार

उद्योग विभाग

श्री नीतीश कुमार
मा. मुख्यमंत्री, बिहार

श्री सम्राट चौधरी
मा. उप मुख्यमंत्री-सह-उद्योग मंत्री
बिहार

श्री विजय कुमार सिन्हा
मा. उप मुख्यमंत्री
बिहार

वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट मांग संख्या - 23

उद्योग मंत्री का वक्तव्य

दिनांक : 21 फरवरी, 2024

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उद्योग विभाग का बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

प्रस्तावना

बिहार गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और गुरू गोविन्द सिंह की धरती है। यह चन्द्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की भूमि भी है। इसीलिए बिहार को लैण्ड ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हम इस लैण्ड ऑफ हिस्ट्री को लैण्ड ऑफ इन्डस्ट्री के रूप में नयी पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत और प्रतिबद्ध हैं। उद्योग विभाग ने लगातार प्रयास किया है कि प्रदेश में उद्योगों के लिए मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण हो। इसके लिए देश-विदेश में अनेक इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किये गये। पटना में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट-2023 में 50,530 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उद्योग विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ताईवान, सऊदी अरब तथा बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किये। विभाग द्वारा देश के अन्दर नई दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, चण्डीगढ़, कोलकाता, बैंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद तथा तिरूपुर में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किये गये जिसमें निवेशकों को राज्य में उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं तथा औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इन आयोजनों से उद्यमियों तथा निवेशकों का बिहार में विश्वास बढ़ा है।

महोदय,

राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों की विकास की अपार संभावनाएँ हैं। यहाँ पर अधिक मात्रा में रोजगार सृजन भी संभव है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना संचालित है। इस योजना के तहत 31 जनवरी, 2024 तक 40,049 उद्यमियों का चयन किया गया है और उन्हें सहायता के रूप में 2408 करोड़ रूपये की राशि दी जा चुकी है।

प्रदेश में जातीय जनगणना के दौरान गरीब परिवारों को चिह्नित किया गया है और उनके आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना बनायी गयी है जिसके तहत अगले पाँच सालों में सभी गरीब परिवारों को उद्योग एवं रोजगार के लिए दो-दो लाख रूपये की सहायता दी जाएगी।

उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) संचालित है। दोनों योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड संख्या में बिहार के युवाओं को उद्यम चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 जनवरी, 2024 तक 11977 आवेदकों को 355.47 करोड़ रूपये के ऋण की स्वीकृति दी गई जो एक नया कीर्तिमान है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में एक रहा। इसी तरह PMFME के तहत वितीय वर्ष 2023-24 में 31 जनवरी, 2024 तक बिहार राज्य में 11,691 इकाइयों को 1027.54 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी गई जो एक नया कीर्तिमान है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2022-23 में भी इस योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ और माननीय राष्ट्रपति ने बिहार को पुरस्कृत किया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने हेतु बिहार राज्य में किये गये प्रयासों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हुई। राष्ट्रीय एम.एस.एम.ई. पुरस्कारों में बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। उद्यमी रजिस्ट्रेशन तथा जेड सर्टिफिकेशन में भी बिहार देश के तीन अग्रणी राज्यों में एक है। स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के निर्माण के लिए बिहार सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। बिहार को केन्द्र सरकार की स्टार्ट-अप सनराइजर्स रैंकिंग में एस्पायरिंग स्टार्ट-अप इको सिस्टम के कैटेगरी-'ए' में टॉप पोजिशन पर रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय,

उद्योग विभाग द्वारा हैण्डीक्राफ्ट, हैण्डलूम तथा खादी को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास किये गये। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के तीन कलाकारों श्री अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला में तथा श्री शिवन पासवान एवं श्रीमती शांति देवी को मिथिला पेटिंग में विशिष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित नागरिक अलंकरण से सम्मानित करने की घोषणा की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) : नये उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि एक जरूरी आवश्यकता है जिसके प्रबंधन का कार्य बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा किया जाता है। बियाडा के अंतर्गत 78 औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण/विकास केन्द्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क अवस्थित हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बियाडा के अन्तर्गत 08 नये औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये गये हैं जिनमें मुजफ्फरपुर जिले का महबल औद्योगिक क्षेत्र, किशनगंज जिले का भेड़ियाडांगी औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर जिले का नवानगर औद्योगिक क्षेत्र, पटना जिले का वित्तीय भवन औद्योगिक क्षेत्र तथा एयरपोर्ट कार्गो औद्योगिक क्षेत्र, मधेपुरा जिले का चौसा औद्योगिक क्षेत्र, खगड़िया जिले का परबत्ता औद्योगिक क्षेत्र और गया जिले का मानपुर औद्योगिक क्षेत्र शामिल है।

बियाडा के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना की मजबूती के लिए 1780.7 करोड़ रूपये की लागत से सड़क निर्माण, चहारदिवारी निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाईट, नाला निर्माण, फूड पार्क, बैग क्लस्टर एवं प्लग एण्ड प्ले का निर्माण किया जा रहा है। बियाडा क्षेत्र में 9 जिलों के 13 औद्योगिक क्षेत्रों में 24 लाख वर्गफीट क्षेत्र में प्लग एण्ड प्ले शेड का निर्माण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर तथा बिहटा में कई प्लग एण्ड प्ले शेड बनकर तैयार भी हो गये हैं जिन्हें देश की महत्वपूर्ण मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनियों को आवंटित करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को भी आवंटित किया गया है। इससे टेक्सटाईल एवं लेदर सेक्टर में 555 करोड़ रूपये का निवेश हुआ है।

बैग कलस्टर :

औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा बैग कलस्टर विकसित किया गया है जिसमें 44 औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत है। इन 44 इकाइयों में 42 इकाइयों का संचालन मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की लाभुकों द्वारा किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण :

राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार की अपार संभावनाएँ हैं। विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क विकसित किया जा रहा है जो राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है। इस फूड पार्क को विकसित करने के लिए 175 करोड़ रूपये के निवेश की योजना है। इस फूड पार्क में 13 औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित कर दिया गया है जिससे 140.64 करोड़ रूपये का निवेश होगा।

बियाडा के बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में ई-रेडिएशन-कम-पैकहाउस निर्माणाधीन है। इसके निर्माण से फलों और सब्जियों की ई-रेडिएशन करके उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है, जिससे बिहार में उत्पादित फलों एवं सब्जियों को विदेशों में निर्यात किया जा सकेगा। इस पैकहाउस में ग्रेडिंग, शॉर्टिंग और हॉट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी उपलब्ध करायी गयी है, जिससे फलों एवं सब्जियों की बेहतर मार्केटिंग में मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय,

मौर्यकाल से मध्यकाल तक बिहार का औद्योगिक ढांचा काफी मजबूत रहा है। मगध क्षेत्र का धातु उद्योग और भागलपुर का सिल्क अपने-अपने समय काल में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। उद्योगों के लिए हम एक ऐसे इकोसिस्टम के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं जिससे राज्य में बड़े-बड़े उद्योग स्थापित तो हों ही, घर-घर में उद्योग लगे। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए हमने अनेक नयी प्रोत्साहन नीतियाँ बनायी हैं। कई दूसरे सेक्टर के लिए भी नयी नीतियाँ बनायी जा रही हैं। इससे राज्य में उद्योगों के लिए नया वातावरण बनेगा और निवेशक बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ निवेश के लिए आगे आयेंगी। मैं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के बारे में संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 : उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू है। इस नीति के तहत उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकों से लिये गये कर्ज पर ब्याज प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, भूमि रूपांतरण शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस नीति के तहत अबतक 2855 इकाइयों को स्टेज-1 क्लियरेन्स दिया गया है जिसमें 69517 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्ताव शामिल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी, 2024 तक इस नीति के तहत कुल 598 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 481 आवेदनों को स्टेज-1 क्लियरेंस प्रदान कर दिया गया है, जिसमें प्रस्तावित निवेश राशि 4512.85 करोड़ रूपये है। कुल 175 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन हेतु क्लियरेंस दिया गया, जिसमें निवेश राशि 2195.10 करोड़ रूपये है तथा कुल 175 इकाइयाँ कार्यरत हुई, जिसमें निवेश राशि 2112.97 करोड़ रूपये है। इस वर्ष कार्यरत हुई इकाइयों में 8085 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 एवं बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2016 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 500.09 करोड़ रूपये की सब्सिडी (अनुदान) विमुक्ति की योजना है।

औद्योगिक विकास को गति देने हेतु बिहार सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अलावा सेक्टर आधारित प्रोत्साहन नीतियाँ लागू की गयी हैं:

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (टेक्सटाईल एवं लेदर) नीति, 2022

कृषि के बाद टेक्सटाईल एवं लेदर सेक्टर तथा इनकी अनुषंगी उत्पादन इकाइयां अधिकतम नियोजन के अवसर उपलब्ध कराती है। टेक्सटाईल एवं लेदर सेक्टर से संबंधित उद्योग श्रमोन्मुखी उद्योग है तथा इनमें राज्य के आर्थिक विकास की व्यापक संभावनाएं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में टेक्सटाईल एवं लेदर सेक्टर की सकल घरेलू उत्पाद में योगदान उत्पादन, नियोजन सृजन तथा निर्यात आय में मुख्य भूमिका है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (टेक्सटाईल एवं लेदर) नीति-2022 का अवधि विस्तार 30 जून, 2024 तक किया गया है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (टेक्सटाईल एवं लेदर) का उद्देश्य वस्त्र, पोशाक, रेशम विद्युत चरखा, चमड़ा, सभी तरह के जूते तथा सम्बद्ध उद्योगों के समग्र प्रक्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना तथा निवेश सुविधा को प्रोत्साहन करना है। राज्य सरकार द्वारा इस नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश के इच्छुक निवेशकों को आवश्यक सहायता/सुविधा प्रदान किया जायेगा जिससे निवेश के नए अवसर सृजित होंगे। इससे सामाजिक विकास तथा नियोजन के नए अवसरों के सृजन के साथ ही, स्वदेशी एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

इस नीति के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त इकाइयों को रोजगार अनुदान, पावर टैरिफ, पूँजीगत अनुदान, फ्रेट सब्सिडी एवं पेटेंट सब्सिडी का भी प्रावधान किया

गया है। रोजगार अनुदान प्रति श्रमिक प्रति माह रू0 5000.00 तक, पूँजीगत अनुदान रू0 10.00 (दस) करोड़ तक, पावर टैरिफ 2 रूपये प्रति यूनिट, फ्रेट सब्सिडी रू0 10.00 (दस) लाख तक प्रति वर्ष तथा पेटेंट सब्सिडी रू0 10.00 लाख (दस लाख) प्रति पेटेंट का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है।

पात्र इकाइयों जिनके द्वारा इस नीति की अधिसूचना की तिथि के पूर्व चरण-1 की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है, उन्हें भी इस नीति के अंतर्गत आच्छादित किया गया है बशर्ते उनके द्वारा वित्तीय मंजूरी नहीं प्राप्त की गई हो।

31 जनवरी, 2024 तक इस नीति के अन्तर्गत कुल 82 आवेदनों को स्टेज-1 क्लियरेंस की सहमति प्रदान की गई जिसमें निवेश प्रस्ताव 441.89 करोड़ (चार सौ इकतालीस करोड़ नवासी लाख) रूपये है। इनमें से अभी तक कुल 04 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया जिसमें निवेश प्रस्ताव 31.81 करोड़ (इकतीस करोड़ इक्यासी लाख) रूपये है। वर्तमान में कुल 02 इकाइयां कार्यरत हो चुकी है, जिसमें निवेश की कुल राशि 28.55 करोड़ (अठाइस करोड़ पचपन लाख) रूपये है।

बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023

वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2023 दिनांक-10.07.2023 से लागू की है। इस नीति का उद्देश्य कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 को शामिल करके कवरेज को व्यापक बनाना है। यह वैकल्पिक, नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन उत्पन्न करने के लिए कृषि अवशेषों, जानवरों के गोबर, खाद्य अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, सीवेज के पानी आदि का उपयोग करने में मदद करेगा। इससे किसानों के लिए अतिरिक्त आय सृजित करने और रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।

इस नीति के तहत परियोजना लागत के 15 प्रतिशत (अधिकतम पाँच करोड़ रूपये) के पूँजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है। साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत अनुमान्य सभी सुविधाएँ भी इकाइयों को दी जाएगी।

बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी, 2023

बिहार सरकार औद्योगिक विकास एवं सामाजिक विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी-2023 दिनांक-09.12.2023 से लागू की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रस्तावित है। लॉजिस्टिक नीति राज्य में कार्यान्वित किये जाने के व्यापक रूपरेखा को परिभाषित करती है जो लॉजिस्टिक उद्योगों के विकास में सहायक होगी। इस नीति का लक्ष्य बिहार को एक लॉजिस्टिक प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में स्थापित करना है। साथ ही इस नीति का उद्देश्य निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य, क्षेत्रीय विकास करना एवं निर्यात में विविधता के साथ बढ़ोतरी तथा लचीले आर्थिक विकास के माध्यम से लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।

पटना जिला में फतुहा के समीप मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण की योजना बनायी गयी है जहाँ एक साथ कई प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएँगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना : राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा तथा अल्पसंख्यक समुदाय के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री

महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना संचालित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की भी शुरूआत की गई। इस योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को 10 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में और 50 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में है। अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला तथा अल्पसंख्यक उद्यमियों को दिया जाने वाला ऋण ब्याजमुक्त है जबकि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभुकों को ऋण पर 1 प्रतिशत का ब्याज देना होता है। चयनित लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान तीन चरणों में किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 8000 लाभार्थियों का चयन किया गया, जिन्हें प्रशिक्षणोपरान्त 67.87 करोड़ (सड़सठ करोड़ सत्तासी लाख) रुपये की राशि दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना : वित्तीय वर्ष 2023-24 में अल्पसंख्यक वर्ग के युवा/युवतियों को स्वरोजगार/उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरूआत की गयी है। इस योजनान्तर्गत लाभुकों की संख्या का निर्धारण एवं तदनुसार राशि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। इस वर्ष इस योजनान्तर्गत 1247 लाभुकों का औपबंधिक रूप से चयन किया गया है और इनका प्रशिक्षण हो चुका है। प्रथम किश्त के रूप में इन लाभुकों को 8.53 करोड़ रूपये की राशि दी जा चुकी है।

बिहार लघु उद्यमी योजना : राज्य के विभिन्न वर्गो के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना दिनांक-16.01.2024 को लागू की गयी है। योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2.00 लाख (दो लाख रूपये) तक की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के लिए प्रारम्भ में कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में क्रमशः 250.00 (दो सौ पचास) करोड़ रूपये एवं सांकेतिक रूप से 1,000.00 (एक हजार) करोड़ रूपये की राशि पर स्वीकृति दी गयी है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : युवाओं को रोजगार करने तथा उद्योग लगाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रूपये तक की ऋण सहायता तथा सर्विस सेक्टर में 20 लाख रूपये तक की ऋण सहायता इस योजना के तहत दी जाती है। कुल सहायता पर 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान भी है। इस योजना के क्रियान्वयन में बिहार विगत दो वर्षों से शीर्ष राज्यों में बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 31 जनवरी, 2024 तक 11977 आवेदकों को 355.47 करोड़ रूपये के ऋण की स्वीकृति दी गई।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना : खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना तथा कार्यरत इकाइयों के उन्नयन के उद्देश्य से यह योजना 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए लागू है। खाद्य सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता निर्माण, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बैंक क्रेडिट की सुविधा ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग में सहायता, कॉमन फैसिलिटी सेन्टर का विकास तथा ट्रेनिंग सिस्टम की मजबूती इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना तथा मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण पर परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से 10 लाख रूपये तक का क्रेडिट लिंक्ड पूँजीगत अनुदान का प्रावधान है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सहायता मुहैया करने हेतु विभाग प्रयत्नशील है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में इस योजना के तहत रिकॉर्ड संख्या में नये लाभुकों का चयन करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

कौशल विकास कार्यक्रम : सात निश्चय के तहत कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा बिहार के युवक/युवतियों को

रोजगार हेतु विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करना है। उद्योग विभाग द्वारा जिन प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्रों से कौशल विकास का प्रशिक्षण संचालित कराया जाता है, उनमें प्रमुख CIPET (सीपेट). हाजीपुर एवं भागलपुर, ATDC- पटना, NIELIT-पटना, TRTC- पटना, RTD प्राईवेट लिमिटेड एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1890 लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें कुल रूपये 5,05,84,286.00 (रू0 पाँच करोड़ पाँच लाख चौरासी हजार दो सौ छियासी) मात्र व्यय होने का अनुमान है। कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित कराने के उपरान्त नियोजित (Placement) किया जाता है, जिससे कुशल युवक/युवतियों को रोजगार मिल पाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार स्टार्ट-अप नीति-2022

बिहार स्टार्ट-अप के तहत उद्यमियों को 10 लाख रूपये का सीड फंड, 15 लाख रूपये को पोस्ट सीड फंड, 50 लाख रूपये तक का मैचिंग लोन ग्रान्ट जैसी सुविधाएँ दी जा रही हैं। 31 जनवरी, 2024 तक 574 स्टार्ट-अप इकाइयों को 58.89 करोड़ रूपये (अन्ठावन करोड़ नवासी लाख रूपये) की सहायता दी जा चुकी है। राज्य में स्टार्ट-अप इको सिस्टम के निर्माण के लिए 500 करोड़ (पाँच सौ करोड़) रुपये के शुरुआती कोष सृजित है। स्टार्ट-अप उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के हर जिले में इनक्यूबेशन सेन्टर तथा पटना में जीरो लैब कार्यरत है। स्टार्ट-अप इकाइयों के लिए पटना में दो स्थानों पर कॉमन वर्किंग स्पेस बी-हब बनाया गया है। जहाँ पर किफायती कार्यालय स्थान एवं अन्य आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी हैं।

सीपेट (IPT) की स्थापना : राज्य में पेट्रोकेमिकल, पोलिमर एवं संबद्ध उद्योगों के लिए प्रशिक्षित मानव बल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्णकालिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस हेतु सीपेट जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्थान है (i) Institute of Petrochemical Technology (IPT) की स्थापना औद्योगिक क्षेत्र, बिहटा, पटना (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (VTC) की स्थापना भागलपुर तथा (iii) 200 छात्रों के लिए छात्रवास का निर्माण हाजीपुर में किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 15.90 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनरीक्षित बजट रु0 44.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) : राज्य सरकार द्वारा राज्य के भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के तीव्र विकास एवं निजी प्रक्षेत्र की भागीदारी तथा प्रारुपण, वित्त-पोषण, पथ निर्माण, परिसंचालन, रख-रखाव आदि से संबद्ध विषयों पर प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विलंब कम करने के उद्देश्य से बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का गठन 27.04.2006 को किया गया। यह राज्य के जन-निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी भी है। प्राधिकार के अंतर्गत स्थापित भूमि बैंक का कार्य भूमि अर्जन कर बिहार के औद्योगिकरण एवं अन्य विकासात्मक कार्य में योगदान एवं गति प्रदान करना है। साथ ही बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सौंपे गये आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजनाओं के निर्माण का कार्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के तकनीकी शाखा द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को जन-निजी भागीदारी के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से

प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इनमें प्रमुख योजनाएँ पटना में आई0टी0 टावर का निर्माण, बिहार में सस्ती आवास योजना इत्यादि प्रमुख है। जयप्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना को Superspeciality Hospital के रूप में विकसित करने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँ प्रक्रियाधीन है।

सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दिशा में भी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार अग्रसर है। नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT), पटना, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंडी, बामेती, अरण्य भवन, कृषि भवन, पटना जैसी महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण प्राधिकार की तकनीकी शाखा द्वारा किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय, पटना, चालक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद, खादी मॉल, पटना जैसे महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य भी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से किया जा चुका है। राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग एण्ड प्ले सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में प्राधिकार द्वारा उद्योग विभाग/बियाडा की कुल 86 निर्माण परियोजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है, जिनमें प्रधानमंत्री गति-शक्ति योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है।

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के तहत भूमि बैंक रिवॉलविंग फंड हेतु बिहार सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा कुल 2025.79 करोड़ रु0 (दो हजार पच्चीस करोड़ एवं उन्यासी लाख रूपये) मात्र राशि उपलब्ध करायी गयी है। उक्त भूमि बैंक निधि से विभिन्न परियोजनाओं के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है। वर्त्तमान में गया जिलान्तर्गत डोभी अंचल में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC) के स्थापनार्थ 1699.05 एकड़ भूमि का अर्जन तथा फतुहाँ के पास मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु 105.20 एकड़ भूमि का अर्जन तथा कई अन्य भू-अर्जन की योजनाएँ प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं सक्रियतापूर्वक करते हुये बिहार के औद्योगिकरण एवं आधारभूत संरचना के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हस्तशिल्प प्रक्षेत्र : उद्योग विभाग द्वारा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण एवं मार्केटिंग का काम उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के माध्यम से किया जाता है। संस्थान द्वारा छः मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 18 विभिन्न शिल्पों में 500 से अधिक नये कलाकारों को प्रशिक्षित किया गया है।

हस्तकरघा प्रक्षेत्र

हस्तकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की योजना संचालित है जिसके तहत 1820 बुनकरों को 10,000 प्रति बुनकर के हिसाब से सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी। राज्य में हस्तकरघा एवं पावरलूम पर यूनिक आईडेन्टिफिकेशन संख्या (यू0आई0डी0) उत्कीर्ण कराने की योजना लागू है जिसके तहत अबतक 11508 हस्तकरघा एवं 22351 विद्युतकरघा पर यू0आई0डी0 उत्कीर्ण किया गया है। राज्य में कार्यरत लगभग 29000 विद्युतकरघा बुनकरों को तीन रूपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान उपलब्ध कराने की योजना लागू है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33.34 करोड़ (तैंतीस करोड़ चौतीस लाख) रूपये अनुदान दिया गया।

रेशम प्रक्षेत्र के विकास के लिए मलवरी विकास परियोजना, तसर विकास योजना, अंडी रेशम विकास योजना आदि संचालित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेशम प्रक्षेत्र के विकास के लिए 7.86 करोड़ रूपये की सहायता राशि जारी की गई।

खादी प्रक्षेत्र

मुख्यमंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग योजना : वित्तीय वर्ष 2023-24 में खादी प्रक्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री खादी एवं

ग्रामोद्योग योजना बनायी गयी जिसके तहत खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं को चरखा, करघा, शेड निर्माण, आधुनिक सिलाई मशीन, कशीदाकारी एवं अन्य सामान उपस्कर तथा कार्यशील पूँजी ऋण देने का प्रावधान किया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु सहयोग का प्रावधान भी किया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की मार्केटिंग में सहायता के लिए मेला/प्रदर्शनी का आयोजन करने के अलावा पटना में खादी मॉल भी संचालित है तथा पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन है। खादी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा खादी उत्पादन पर 10 प्रतिशत के रिबेट का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

निवेश आयुक्त, मुम्बई कार्यालय : बिहार के औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्यावधि एवं दीर्घावधि के लिए मुम्बई में निवेश आयुक्त कार्यालय की स्थापना 2017 में की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 से इस कार्यालय की स्थापना को योजना मद से गैर योजना मद के हस्तांतरित किये जाने की सहमति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली गई है। मुम्बई में निवेश आयुक्त के स्थायी कार्यालय स्थापित करने हेतु भूमि/भवन इत्यादि के लिए मुम्बई पत्तन प्राधिकरण से भूमि प्राप्त हुई है। निवेश आयुक्त कार्यालय द्वारा "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" विशेषकर वैसे कैंसर पीड़ित जो इलाज के लिए मुम्बई के "टाटा मेमोरियल अस्पताल" आते हैं, को अनुदान वितरण का कार्य भी किया जा रहा है।

बिहार फाउण्डेशन : बिहार फाउण्डेशन बिहार सरकार का प्रवासी प्रकोष्ठ है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसकी स्थापना उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक निबंधित सोसाईटी के रूप में है। बिहार फाउण्डेशन देश-विदेश अवस्थित बिहारी डायस्पोरा (प्रवासी बिहारी) के सक्रिय समूहों की पहचान कर उन्हें बिहार फाउण्डेशन के चैप्टर के रूप में मान्यता प्रदान करती है। देश एवं विदेशों में बिहारी समुदाय के सहयोग एवं फाउण्डेशन के उद्देश्यों के प्रति एकजुटता की वजह से अब तक कुल 26 (छब्बीस) चैप्टर्स खुल चुके हैं जिनमें विदेशों में 14 (चौदह) चैप्टर्स एवं भारत में 12 (बारह) चैप्टर्स हैं।

उद्योग मित्र : उद्यमियों को राज्य में उपलब्ध निवेश सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देने के उद्देश्य से उद्योग मित्र द्वारा समय-समय पर सेमिनार, गोष्ठी तथा इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कराया जाता है। इसके द्वारा विभागीय योजनाओं के ब्रोशर आदि का प्रकाशन भी किया जाता है।

अब मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 की भावी योजनाओं की संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

1. बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 1,00,000 लाभुकों के चयन और उन्हें प्रथम किश्त प्रदान करने का लक्ष्य है।
2. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 9300 नये लाभुकों के चयन और उनकी इकाइयों की स्थापना संभावित है।
3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 20,000 लाभुकों को उद्योगों एवं सेवा प्रक्षेत्र इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है।
4. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत 10,000 लाभुकों को वित्तीय सहायता देने की योजना है।
5. राज्य के सभी जिलों में बिहार स्टार्ट-अप के तहत इनक्यूबेशन सेन्टर खोलने तथा प्रत्येक जिले में नये लाभुकों के चयन की योजना है।
6. औद्योगिक क्षेत्र महबल में लेदर पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 62.17 एकड़ में कुल लागत 140.95 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ पंचानवे लाख रूपये) संभावित है। इसमें मुख्य रूप से वेयर हाउस, टेस्टिंग लैब, STP एवं Design and Development Support System का निर्माण किया जायेगा।
7. औद्योगिक क्षेत्र भेड़ियाडांगी, किशनगंज अंतर्गत 33.772 एकड़ में लेदर टेनरी पार्क को विकसित किया जाना है,

जिसमें कुल लागत 50 करोड़ रूपये संभावित है तथा इसमें मुख्य रूप से CETP का निर्माण किया जायेगा।

8. औद्योगिक क्षेत्र पाटलिपुत्र अंतर्गत 18000 वर्गफीट में ज्वेलरी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें कुल 16 इकाइयों द्वारा ज्वेलरी का निर्माण किया जायेगा।
9. औद्योगिक क्षेत्र पटना (शहरी) अंतर्गत यूनिटी मॉल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी संभावित लागत 212.68 करोड़ (दो सौ बारह करोड़ अड़सठ लाख रूपये) है।
10. MSME क्लस्टर विकास परियोजना के तहत बियाडा के क्लस्टरों में कुल 9493 करोड़ रूपये की राशि प्रस्तावित है। AKIC (Amritsar-Kolkata Industrial Corridor) परियोजना के तहत गया जिले के डोभी ब्लॉक में 1670 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है जिसमें इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है।
11. बियाडा के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल 1608 करोड़ रूपये (एक हजार छः सौ आठ करोड़ रूपये) का निवेश का प्रस्ताव है, जिसके तहत 78 प्लग एण्ड प्ले शेड भी शामिल हैं।
12. लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की अधिक से अधिक इकाइयों का उद्यमी रजिस्ट्रेशन तथा जेड सर्टिफिकेशन की योजना है।
13. वित्तीय वर्ष 2024-25 में तीन जिले यथा- सहरसा, वैशाली एवं मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित अंडी विकास योजना को संचालित किया जाना है।
14. मलबरी रीलिंग यूनिट की स्थापना धमदाहा (पूर्णिया) में किया जाना है।

बजट माँग संख्या-23

वित्तीय वर्ष 2023-24 में उद्योग विभाग का मूल बजट प्राक्कलन स्कीम मद में रू0 1545.00 करोड़ (एक हजार पाँच सौ पैंतालीस करोड़) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में रू0 103.8173 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ इक्यासी लाख तिहत्तर हजार रूपये) अर्थात् कुल प्राक्कलन रू0 1648.8173 करोड़ (एक हजार छः सौ अड़तालीस करोड़ इक्यासी लाख तिहत्तर हजार रूपये) था। स्कीम मद में बजट प्राक्कलन पुनरीक्षित होकर रू0 2800.33 करोड़ (दो हजार आठ सौ करोड़ तैंतीस लाख रूपये) हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कीम मद में रू0 1732.00 करोड़ (एक हजार सात सौ बत्तीस करोड़) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में रू0 101.0864 करोड़ (एक सौ एक करोड़ आठ लाख चौसठ हजार रूपये) अर्थात कुल प्राक्कलन रू0 1833.0864 करोड़ (एक हजार आठ सौ तैंतीस करोड़ आठ लाख चौसठ हजार रूपये) की अनुदान मांग का प्रस्ताव सदन के पटल पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूँ।

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

Design & Print @ Gyan Ganga Creations # 8709860216